भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1760
13 फरवरी, 2026 को जवाब दिया

कताई मिलों की सहायता देने की पहलें

1760. श्री संदोष कुमार पी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक राज्य-वार कितनी कताई मिलें बंद हुई हैं;

(ग) देश में कताई मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कताई मिलों को समर्थन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्पिनिंग मिलों की कुल संख्या, चालू स्पिनिंग मिलों की संख्या तथा अन्य विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न हैं। स्पिनिंग मिलों के बंद होने की विशिष्ट सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ): देश में स्पिनिंग मिलों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने जो खास कदम उठाए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण:**

i. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)** वस्त्र इकाइयों को बेंचमार्क मशीनरी खरीदने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) देना, जिससे मिलों को आधुनिक करने और उनके पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी।

ii. **स्पिनिंग मिल आधुनिकीकरण योजना:** राज्य-विशिष्ट पहलें जैसी तमिलनाडु में हैं, जो पांच वर्ष से पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए ब्याज सब्सिडी देती हैं।

iii. **लघु वस्त्र पार्क योजना:** छोटी यूनिट्स के लिए अवसंरचना, बिल्डिंग बनाने और मशीनरी के लिए सब्सिडी।

2. **कच्चे माल की आपूर्ति और मूल्य स्थिरीकरण:**

i. **भारतीय कपास निगम (सीसीआई) समर्थन:** सरकार ने सीसीआई को निर्देश दिया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीदे गए कॉटन स्टॉक को सीधे एमएसएमई-वर्ग की स्पिनिंग मिलों को बेचे, ताकि उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ii. **स्पेशल सेल/डिस्काउंट :** सीसीआई प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएसएमई मिलों, कोऑपरेटिव सेक्टर की मिलों और खादी इंडस्ट्री को डिस्काउंट (जैसे, Rs 300/- प्रति कैंडी) देता है।

iii. **यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस):** यह योजना सुनिश्चित करती है कि हैंडलूम बुनकरों को "मिल गेट प्राइस" पर कच्चा माल मिले, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यार्न की लगातार डिमांड बनी रहे।

iv. **कस्तूरी कॉटन पहल** : इंडियन कॉटन की क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन पर फोकस करती है, जिससे खेत से लेकर मिल तक संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को लाभ होता है।

3. **वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन:**

i. **उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** यह हाई-वैल्यू मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र के उत्पादन को बढ़ावा देती है, निवेश को आकर्षित करती है और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

ii. **राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल):** निर्यात किए गए गारमेंट और मेड-अप्स पर टैक्स छूट देता है, जिससे यार्न की डाउनस्ट्रीम मांग बढ़ती है।

iii. **इंटरेस्ट इक्वलाइज़ेशन स्कीम** : एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए प्री- और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट के रेट बढ़ाए गए।

iv. **वस्त्र के लिए स्पेशल पैकेज (2016):** इसमें एटीयूएफएस के तहत अतिरिक्त उत्पादन सब्सिडी, ईपीएफ अंशदान सहायता और टैक्स में छूट जैसे उपाय शामिल किए गए हैं।

4. **अवसंरचना का विकास:**

i. **पीएम मित्र पार्क:** माल ढुलाई की लागत कम करने और क्षमता में सुधार के लिए विश्वस्तरीय, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क की स्थापना।

ii. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस):** इस योजना से मिलों को पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए नए और उन्नत कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपीएस) को सहायता मिलती है।

5. **समर्थ योजना (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना):** इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल बनाने के लिए मांग आधारित, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है।

ये पहलें मिलकर उन्नत प्रौद्योगिकी, कुशल कार्यबल, कच्चे माल की बढ़ती लागत और असम्बद्ध आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता को पूरा करती हैं।

अनुबंध-।

टेक्सटाइल फाइबर तैयार करने और स्पिनिंग में कुल, कार्यशील और अन्य इकाइयां (1311)																
		2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
क्र. सं.	राज्य	कारखानों की संख्या	कारखानों में संचालन	अन्य*	कारखानों की संख्या	कारखानों में संचालन	अन्य*	कारखानों की संख्या	कारखानों में संचालन	अन्य*	कारखानों की संख्या	कारखानों में संचालन	अन्य*	कारखानों की संख्या	कारखानों में संचालन	अन्य*
1	आंध्र प्रदेश	267	220	47	215	168	47	198	142	57	205	151	54	154	137	18
2	असम	4	4	0	15	15	0	4	3	1	7	7	0	6	6	0
3	बिहार	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	5	2	5	5	0
4	चंडीगढ़ (यूटी)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5	छत्तीसगढ	5	5	0	7	7	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0
6	दादरा और नगर हवेली ओर दमन और दीव	116	84	32	118	97	21	136	105	31	116	54	62	81	68	13
7	गुजरात	450	363	87	429	321	108	483	303	180	499	337	162	516	357	159
8	हरियाणा	252	169	83	344	233	111	280	158	122	207	129	78	290	249	41
9	हिमाचल प्रदेश	28	28	0	35	35	0	39	19	20	37	28	10	30	22	9
10	जम्मू और कश्मीर	15	14	1	11	11	0	11	10	1	13	13	0	6	6	0
11	झारखंड	2	1	1	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
12	कर्नाटक	81	48	34	72	33	39	32	21	11	59	40	18	69	27	42
13	केरल	74	62	12	79	69	10	51	51	0	99	94	5	64	51	13
14	मध्य प्रदेश	53	52	1	58	47	12	64	59	5	54	49	5	43	42	1
15	महाराष्ट्र	532	294	238	567	301	266	563	345	217	484	296	188	522	357	164
16	ओडिशा	7	7	0	7	7	0	8	6	2	7	4	3	3	3	0
17	पुदुचेरी	16	13	3	19	19	0	18	18	0	14	14	0	16	14	3
18	पंजाब	273	210	64	280	213	66	269	177	93	231	177	53	316	235	81
19	राजस्थान	269	226	43	306	265	40	241	210	31	324	324	0	319	203	116
20	तमिलनाडु	2663	1995	668	2696	2042	654	2773	2121	652	2579	1951	627	2455	1672	783
21	तेलंगाना	103	59	44	119	103	17	77	65	12	118	101	17	122	100	23
22	त्रिपुरा	2	2	0	2	0	2	1	0	1						
23	उत्तर प्रदेश	49	31	17	98	61	37	44	24	20	55	53	2	67	66	1
24	उत्तराखंड	8	8	0	8	7	1	8	8	0	7	6	1	7	7	0
25	पश्चिम बंगाल	97	77	20	84	73	11	52	50	2	70	55	15	67	67	0
	भारत	**5373**	**3979**	**1394**	**5575**	**4134**	**1441**	**5368**	**3911**	**1457**	**5199**	**3895**	**1303**	**5166**	**3702**	**1464**

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

नोट 1: अन्य* - ऐसी फैक्ट्रियां जिनके पास फिक्स्ड एसेट हैं, लेकिन जो अपने स्टाफ को मेंटेन नहीं कर रही हैं और 3 वर्ष से उत्पादन नहीं कर रही हैं, या जिनका कोई वजूद नहीं है, या जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, या जो कवरेज से बाहर हैं आदि।

नोट 2: उपरोक्त डेटा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के डेटा कवरेज से संबंधित है, जो पूरे फैक्ट्री सेक्टर तक फैला हुआ है, जिसमें फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (i) और 2 (एम) (ii) के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ (जिन्हें कारखाने कहा जाता है) शामिल हैं, जिसमें एक 'फैक्ट्री ', जो एएसआई के लिए गणना की प्राथमिक सांख्यिकीय इकाई है।
